विजय कुमार,
आई०पी०एस०

डीजी परिपत्र सं० - 45 /2023
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010

दिनांक: अक्टूबर 20, 2023

विषयः उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 यथासंशोधित उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) अधिनियम-2015 तथा उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली-2021 के प्रावधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली-2021, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-5203/छः-पु0-9-2021-31(43)-2013 दिनांकित 27.12.2021 द्वारा प्रख्यापित की गयी है, जो तत्काल प्रभाव से लागू है। नियमावली-2021 के प्राविधानों के पूर्ण अनुपालन विधिसम्मत कार्यवाही हेतु अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्याः डीजी सात-एस-14(09)/2021 दिनांकित 25.04.2022 तथा अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्याः डीजी सात एस-14(09)/2021 दिनांकित 01.06.2022, डीजी परिपत्र संख्या-40/2022 दिनांक 09.12.2022 तथा डीजी परिपत्र संख्या-20/2018 दिनांक 06.05.2018 के द्वारा पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली-2021 को प्रख्यापित हुये लगभग 21 माह व्यतीत हो चुके हैं किन्तु अभी भी जनपद स्तर पर गैंगचार्ट तैयार करते समय तथा अन्य अनुवर्ती कार्यवाहियों यथा पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गैंगचार्ट अनुमोदित किये जाते समय नियमावली में दी गयी व्यवस्था का पालन नहीं किया जा रहा है। त्रुटिपूर्ण गैंगचार्ट के आधार पर संस्थित गिरोहबन्द अधिनियम के अभियोगों को अभियुक्तों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा रही है अथवा जमानत पर सुनवाई के दौरान त्रुटिपूर्ण गैंगचार्ट के आधार पर की गयी कार्यवाहियाँ मा0 उच्च न्यायालय के संज्ञान में आ रही है।

.....2

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अनेक प्रकरण में गैंगचार्ट तैयार करने तथा अनुमोदन प्रदान करने में हुयी त्रुटि को लेकर विपरीत टिप्पणी की है तथा वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने या शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये आदेशित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि फील्ड स्तर पर उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली-2021 का गम्भीरता से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली-2021 द्वारा निर्धारित व्यवस्था का अनुपालन न किये जाने का तथ्य मा0 उच्च न्यायालय के संज्ञान में आने पर राज्य का पक्ष रखने वाले शासकीय अधिवक्ता / अपर शासकीय अधिवक्ता की स्थिति असहज होती है तथा इसका लाभ अन्ततः अभियुक्तों को ही मिलता है।

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली-2021 के अध्याय-4 में गैंगचार्ट तथा अध्याय-6 में सम्पत्ति की जब्ती से सम्बन्धित सिद्धान्तों का विस्तृत वर्णन किया गया है तथा इन कार्यवाहियों हेतु विभिन्न प्रारूप निर्धारित किये गये है। गैंगचार्ट तैयार करने, अग्रसारित करने वाले तथा अनुमोदित करने वाले अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने पर ही अग्रसारण या अनुमोदन किये जाने की व्यवस्था नियमावली में दी गयी है। उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली-2021 प्रभाव में आ जाने के बाद गैंगचार्ट में त्रुटि होने की स्थिति में गैंगचार्ट तैयार करने वाले/अग्रसारित करने वाले/अनुमोदित करने वाले प्रत्येक स्तर के अधिकारियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है।

कमिश्नरेट/जनपद प्रभारी अपने कमिश्नरेट/जनपद के प्रभारी निरीक्षकों/विवेचकों को उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली-2021 के प्राविधानों से परिचित कराने हेतु कार्यशाला आयोजित करेंगे, जिसमें विधि विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जायेगा। कार्यशालाओं में क्रमानुसार कमिश्नरेट/जनपद के प्रभारी निरीक्षकों तथा विवेचकों को नामित किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जनपद के प्रत्येक प्रभारी निरीक्षक/विवेचक, नियमावली-2021 के प्राविधानों के सम्बन्ध में यथोचित प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले विवेचकों की सूची जोनल अपर पुलिस महानिदेशक के माध्यम से इस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 के मामलों में कार्यवाही करते समय स्वयं विधिवत समीक्षा करते हुये व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने पर ही नियमावली-2021 में दी गयी

.....3

व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन करते हुये अग्रसारण/अनुमोदन करना सुनिश्चित करें। यदि भविष्य में नियमावली-2021 उपरोक्त के प्राविधानों के अनुपालन में कोई त्रुटि या शिथिलता बरतने का प्रकरण संज्ञान में आता है तो गैंगचार्ट तैयार करने वाले,अग्रसारित करने वाले तथा अनुमोदित करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(विजय कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—</u>

1. अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था),उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (रेलवेज), उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन), उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।